



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112020-222983
CG-DL-E-06112020-222983

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2020/कार्तिक 15, 1942

No. 471]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2020/KARTIKA 15, 1942

भारतीय उपचर्या परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2020

फा. सं. 22-203/सीएनई/2019-आईएनसी.—समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, यथा :-

1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन

- ये विनियम, भारतीय उपचर्या परिषद् (सतत नर्सिंग शिक्षा) विनियम, 2019 कहे जायेंगे।
- ये विनियम, इनकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- 'अधिनियम' का अभिप्राय समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) से है।
- 'परिषद्' का अभिप्राय अधिनियम के तहत गठित भारतीय उपचर्या परिषद् से है।
- 'एसएनआरसी' का अभिप्राय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किसी भी नाम से गठित राज्य उपचर्या एवं प्रसाविका पंजीकरण परिषद् से है।
- 'आरएन एंड आरएम' का अभिप्राय एक पंजीकृत उपचर्या एवं पंजीकृत प्रसाविका (आरएन एंड आरएम) से है और एक ऐसे नर्स को दर्शाता है जिसने मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्नातक (बी.एससी. नर्सिंग) या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) पाठ्यक्रम, जैसा कि परिषद् द्वारा निर्धारित किया गया हो, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और किसी एक एसएनआरसी में पंजीकृत उपचर्या एवं पंजीकृत प्रसाविका के रूप में पंजीकृत हो।

- v. 'आरएनएम' का अभिप्राय एक पंजीकृत सहायक नर्स मिडवाइफ से है और एक ऐसे सहायक नर्स मिडवाइफ को दर्शाता है जिसने मान्यता प्राप्त ऑग्निलरी नर्स मिडवाइफ (एएनएम) पाठ्यक्रम, जैसा कि परिषद द्वारा निर्धारित किया गया हो, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और किसी एक एसएनआरसी में पंजीकृत सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत हो।
- vi. 'आरएलएचवी' का अभिप्राय एक पंजीकृत महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका से है और एक ऐसी महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका को दर्शाता है जिसने मान्यता प्राप्त महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका (एलएचवी) पाठ्यक्रम, जैसा कि परिषद द्वारा निर्धारित किया गया हो, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और किसी एक एसएनआरसी में पंजीकृत महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका के रूप में पंजीकृत हो।
- vii. नर्स पंजीकरण एवं ट्रेकिंग प्रणाली 'एनआरटीएस' का अभिप्राय भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), भारत सरकार के सहयोग से विकसित सॉफ्टवेयर प्रणाली से है, जिसे भारतीय उपचर्या रजिस्टर के रखरखाव व संचालन के लिये एनआईसी द्वारा हॉस्ट किया गया है। इसमें पंजीकृत उपचर्या एवं पंजीकृत प्रसाविका (आरएन एंड आरएम)/पंजीकृत सहायक नर्स मिडवाइफ (आरएनएम)/ पंजीकृत महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका (आरएलएचवी) के आंकड़ों के संग्रह के लिए 'आधार' बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर आधारित मानकीकृत प्रारूप हैं।
- viii. 'सीएनई' का अभिप्राय आरएन एंड आरएम/आरएनएम/आरएलएचवी द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवश्यक रूप से की जाने वाली सतत नर्सिंग शिक्षा से है;
- ix. 'एनयूआईडी' का अभिप्राय एनआरटीएस द्वारा प्रत्याशी को दिया जाने वाला नर्सिंग यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन नम्बर से है।
- x. 'आईएनआई' का अभिप्राय इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से है।
- xi. 'आईएनई' का अभिप्राय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एक्सीलेंस से है।

भारतीय उपचर्या परिषद् (सतत नर्सिंग शिक्षा) विनियम, 2019

1. प्रस्तावना

भारत में स्वास्थ्य कर्मचारियों की दो तिहाई संख्या नर्सों की है और वे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नर्सिंग एक वैज्ञानिक अध्ययन का विषय है और स्वास्थ्य सेवा में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास से प्रभावित है। रोग के परिवर्तनशील प्रतिमान एवं जनसांख्यिकी, बढ़ती हुई राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताएं, इसकी मांग और व्यय, बढ़ती हुई सूचना अभिवृद्धि, और नर्सिंग शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि ऐसे परिवर्तन हैं, जो आज बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सृजन कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा के इस परिदृश्य में, कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली सुरक्षित देखभाल प्रदान करने के लिये, व्यावसायिक नर्सों को सीएनई के माध्यम से अपने ज्ञान और क्षमता को अद्यतन करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा तभी सम्भव होगा जब पूरे देश में सीएनई कार्यान्वयन दिशानिर्देशों की एक समान एवं मानक प्रणाली हो।

इस आवश्यकता के विवेक में, परिषद् ने भारत में नर्सों की आचार संहिता में नर्सों के व्यावसायिक एवं वैयक्तिक विकास को बढ़ावा देने में सीएनई के महत्व पर जोर दिया है। इसके महत्व को दोहराते हुये, वर्ष 2005 में परिषद् ने पूरे देश में सीएनई के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश तैयार किये थे। यह उस समय लागू नहीं हो पाये थे, लेकिन कुछ एसएनआरसी ने सीएनई दिशानिर्देशों को लागू कर दिया था। परिषद् द्वारा भारत में प्रत्येक नर्स के लिये एनयूआईडी की आगामी शुरुआत के साथ, ये दिशानिर्देश सभी राज्यों में समान रूप से लागू किये जा सकते हैं। ये दिशानिर्देश व्यावसायिक नर्सों को सीएनई अवसरों के महत्व, मान्यता, सृजन एवं उपयोग करने के लिये दिशा और प्रोत्साहन प्रदान करेंगे, और इस प्रकार व्यावसायिक दक्षताओं के साथ-साथ उनके वैयक्तिक एवं व्यावसायिक विकास में भी वृद्धि करेंगे।

2. सीएनई आवश्यकता

सभी आरएन एंड आरएम कर्मियों को कम से कम एक व्यावसायिक सीएनई कार्यक्रम में भाग लेना होगा और प्रत्येक 5 वर्ष के लिये 30 सीएनई क्रेडिट या 150 सीएनई घंटे (न्यूनतम 30 घंटे प्रति वर्ष और अधिकतम 60 घंटे प्रति वर्ष) अर्जित करने होंगे। सभी सीएनई कार्यक्रमों को परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। नर्सों और दाइयों के पंजीकरण और लाइसेंस के नवीनीकरण के लिये हर पांच वर्ष में इस अहर्ता को पूरा करना अनिवार्य है।

सभी आरएनएम/आरएलएचवी (एएनएम के पदोन्नति प्रशिक्षण), लोक स्वास्थ्य नर्स और ऐसे नर्स जो एमएलएचपी/सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के पदों पर आसन्न हैं, उन्हें सरकार द्वारा अधिदिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा और प्रत्येक 5 वर्ष के लिये 30 सीएनई क्रेडिट या 150 सीएनई घंटे (न्यूनतम 30 घंटे प्रति वर्ष और अधिकतम 60 घंटे प्रति वर्ष) अर्जित करने होंगे। आरएनएम/आरएलएचवी के पंजीकरण और लाइसेंस के नवीनीकरण के लिये हर पांच वर्ष में इस अहर्ता को पूरा करना अनिवार्य है।

3. सीएनई कार्यक्रमों का संचालन करने के लिये सक्षम या अधिकृत संगठन/संस्थान/एजेंसियां

सीएनई के संचालन के लिये अधिकृत संगठनों/संस्थानों की सूची निम्नानुसार है —

- i. पंजीकृत व्यावसायिक संघ/समितियां — राजकीय/राष्ट्रीय (जैसे, ट्रेड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सायकियाट्रिक नर्सिंग एसोसिएशन, क्रिटिकल केयर नर्सिंग एसोसिएशन, आदि)।
- ii. केंद्रीय/राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थान (कॉलेज/स्कूल)।
- iii. स्वायत्त संस्थान/आईएनआई और आईएनई।
- iv. परिषद् द्वारा उपयुक्त पाये गये नर्सिंग शिक्षण संस्थान।
- v. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय/सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा अस्पतालों के तहत केंद्रीय/राजकीय अस्पताल/प्रशिक्षण केंद्र।
- vi. मेडिकल कॉलेज या डीएनबी कार्यक्रम का संचालन करने वाले मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल।
- vii. अधिनियम की अनुसूची 2 में सम्मिलित राज्य/केंद्र सरकार/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय।
- viii. अधिनियम की अनुसूची 1 में सम्मिलित सभी नर्सिंग परीक्षा बोर्ड।
- ix. स्वास्थ्य सेवा से जुड़े ऐसे अन्य निजी/कॉर्पोरेट अस्पताल/संगठन/एसोसिएशन/एजेंसियों (जो उपरोक्त सूची में उल्लिखित नहीं हैं) को परिषद् से पूर्व अनुमोदन लेना होगा।

4. सीएनई की मान्यता के लिये आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियां

- i. कॉन्फ्रेंस/कार्यशाला/सेमिनार/संगोष्ठी आदि में भाग लेना।
- ii. नैदानिक कौशल अद्यतन कार्यशालाओं में भाग लेना (वैयक्तिक व्यावहारिक अनुभव जैसे बीसीएलएस/ एसीएलएस)।
- iii. कॉन्फ्रेंस/कार्यशाला/सेमिनार/संगोष्ठी आदि में वक्ता/मौखिक पत्र या पोस्टर प्रस्तुतकर्ता।
- iv. व्यावसायिक संघ/संगठन की आधिकारिक बैठकों के सीएनई/वैज्ञानिक सत्र में भाग लेना।
- v. राजकीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस/कार्यशाला/सेमिनार/संगोष्ठी के वैज्ञानिक सत्र/प्लेनरी सत्र के अध्यक्ष/सभापति।
- vi. राजकीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस/कार्यशाला/सेमिनार/संगोष्ठी/वैज्ञानिक समिति के आयोजन सचिव/अध्यक्ष।
- vii. अनुक्रमित राजकीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में लेखक या सह-लेखक के रूप में प्रकाशन (मूल लेख, केस रिपोर्ट, पुस्तक समीक्षा)।
- viii. पाठ्य पुस्तक के लेखक (लेखक/सह-लेखक)।
- ix. पुस्तक के एक अध्याय के लेखक।
- x. व्यावसायिक संघों/संगठनों द्वारा लिखित पुस्तक को संशोधित करने में लेखक (लेखक/सह-लेखक)।
- xi. अनुक्रमित पत्रिका (इंडेक्स जर्नल) के मुख्य संपादक (पदेन को छोड़कर)।
- xii. अनुक्रमित पत्रिका (इंडेक्स जर्नल) के कार्यकारी/सहायक संपादक।
- xiii. वीडियोकॉन्फ्रेंस (वैज्ञानिक एवं शोध संबंधित जैसे पीएच.डी. कंसोर्टियम)/टेलीकॉन्फ्रेंस पर व्याख्यान देना।
- xiv. ऑनलाइन सीएनई मॉड्यूल/पाठ्यक्रम (विकसित करना/भाग लेना)।
- xv. उच्च शिक्षा प्राप्त करना — परिषद् से मान्यता प्राप्त पीएच.डी./स्नातकोत्तर/पोस्ट बेसिक बी.एससी./पोस्ट बेसिक डिप्लोमा/एनपी कार्यक्रम (एक वर्ष और उससे अधिक)।
- xvi. लघु अवधि वाले नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (3-6 माह)।

5 (I) क्रेडिट और घंटे आवंटन के लिये दिशानिर्देश (वैज्ञानिक सामग्री और वक्ता/संसाधन व्यक्तियों की गुणवत्ता के आधार पर प्रदान किये जाते हैं)

- i. शैक्षणिक गतिविधि:
एक क्रेडिट = 5 घंटे
30 क्रेडिट = 150 घंटे/5 वर्ष
- ii. उच्च अध्ययन:
30 क्रेडिट = 150 घंटे
- iii. शैक्षणिक गतिविधि (लघु अवधि पाठ्यक्रम):
30 क्रेडिट आवश्यक हैं (प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये घंटे/क्रेडिट अलग-अलग हो सकते हैं)

5 (II)

क्र.सं.	शैक्षणिक गतिविधि	आईएनसी दिशानिर्देश
अ		
4(i)	कॉन्फ्रेंस/कार्यशाला/सेमिनार/संगोष्ठी में भाग लेना	एक दिन सीएनई = 5 घंटे = 1 क्रेडिट × दिनों की संख्या न्यूनतम 5 घंटे की वैज्ञानिक विवेचना (अधिकतम 30 घंटे आवंटित किये जा सकते हैं)
4(ii)	नैदानिक कौशल अद्यतन कार्यशालाओं में भाग लेना (वैयक्तिक व्यावहारिक अनुभव जैसे बीसीएलएस/एसीएलएस)	एक दिन = 10 घंटे = दो क्रेडिट × दिनों की संख्या (अधिकतम 30 घंटे आवंटित किये जा सकते हैं)
4(iii)	कॉन्फ्रेंस/कार्यशाला/सेमिनार/संगोष्ठी में वक्ता/मौखिक पत्र या पोस्टर प्रस्तुतकर्ता	10 घंटे (2 क्रेडिट) (एक विषय की प्रस्तुति के लिये केवल एक बार घंटे प्रदान किये जाते हैं)
4(iv)	व्यावसायिक संघ/संगठन की आधिकारिक बैठकों के सीएनई/वैज्ञानिक सत्र में भाग लेना	1 दिन सीएनई = 5 घंटे = एक क्रेडिट (न्यूनतम 5 घंटे की वैज्ञानिक विवेचना)
4(v)	राजकीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस/कार्यशाला/सेमिनार/संगोष्ठी के वैज्ञानिक सत्र/प्लेनरी सत्र के अध्यक्ष/सभापति	5 घंटे (1 क्रेडिट)/सत्र अधिकतम 2 क्रेडिट/दिन
4(vi)	राजकीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस/कार्यशाला/सेमिनार/संगोष्ठी/वैज्ञानिक समिति के आयोजन सचिव/अध्यक्ष	10 घंटे (2 क्रेडिट)/कॉन्फ्रेंस या कार्यशाला या सेमिनार या संगोष्ठी
4(vii)	अनुक्रमित राजकीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में लेखक या सह-लेखक के रूप में प्रकाशन (मूल लेख, केस रिपोर्ट, पुस्तक समीक्षा) — तीसरे और उसके बाद वाले लेखकों के लिये	मूल लेख/केस रिपोर्ट — 10 घंटे (2 क्रेडिट) पुस्तक समीक्षा — 5 घंटे (1 क्रेडिट) 5 घंटे (1 क्रेडिट)
4(viii)	पाठ्य पुस्तक के लेखक (लेखक/सह-लेखक) — तीसरे और उसके बाद वाले लेखकों के लिये	25 घंटे (5 क्रेडिट) 5 घंटे (1 क्रेडिट)
4(ix)	पुस्तक के एक अध्याय के लेखक (लेखक/सह-लेखक) — तीसरे और उसके बाद वाले लेखकों के लिये	10 घंटे (2 क्रेडिट) 5 घंटे (1 क्रेडिट)
4(x)	व्यावसायिक संघों/संगठनों द्वारा लिखित पुस्तक को संशोधित करने में लेखक (लेखक/सह-लेखक) — तीसरे और उसके बाद वाले लेखकों के लिये	10 घंटे (2 क्रेडिट) 5 घंटे (1 क्रेडिट)
4(xi)	अनुक्रमित पत्रिका (इंडेक्स्ड जर्नल) के मुख्य संपादक (पदेन को छोड़कर)	10 घंटे (2 क्रेडिट)/अंक
4(xii)	अनुक्रमित पत्रिका (इंडेक्स्ड जर्नल) के कार्यकारी/सहायक संपादक	5 घंटे (1 क्रेडिट)/अंक
4(xiii)	वीडियोकॉन्फ्रेंस पर व्याख्यान देना (वैज्ञानिक एवं शोध संबंधित जैसे पीएचडी कंसोर्टियम)/टेलीकॉन्फ्रेंसिंग व्याख्यान — आभासी प्रशिक्षण सभापति आयोजक प्रस्तुतकर्ता — न्यूनतम 30 मिनट प्रतिभागी	प्रति सत्र = 10 घंटे = 2 क्रेडिट 2.5 घंटे (0.5 क्रेडिट) अधिकतम 5 घंटे (1 क्रेडिट) 5 घंटे (1 क्रेडिट) अधिकतम 10 घंटे (2 क्रेडिट) 5 घंटे (1 क्रेडिट) अधिकतम 10 घंटे (2 क्रेडिट) 2.5 घंटे (0.5 क्रेडिट) अधिकतम 5 घंटे (1 क्रेडिट)
4(xiv)	ऑनलाइन सीएनई मॉड्यूल/पाठ्यक्रम में भाग लेना ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित करना	5 घंटे तक का 1 मॉड्यूल = 1 क्रेडिट, या पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित क्रेडिट (अंतर्राष्ट्रीय मानक) 1 मॉड्यूल = 3 क्रेडिट/15 घंटे
ब		
4(xv)	उच्च शिक्षा प्राप्त करना — परिषद् से मान्यता प्राप्त पीएच.डी./स्नातकोत्तर/पोस्ट बेसिक बी.एससी./पोस्ट बेसिक डिप्लोमा/एनपी कार्यक्रम (एक वर्ष और उससे अधिक) अ) संपर्क सत्र के बिना ऑनलाइन एवं दूरस्थ प्रणाली — 1 वर्ष और उससे अधिक समयावधि वाले डिप्लोमा नर्सिंग कार्यक्रम ब) संपर्क सत्र के साथ ऑनलाइन एवं दूरस्थ प्रणाली	150 घंटे = 30 क्रेडिट 75 घंटे/15 क्रेडिट (आधा बल भार) 100 घंटे/20 क्रेडिट (संपर्क सत्रों के लिये 'ब' श्रेणी में 25

क्र.सं.	शैक्षणिक गतिविधि	आईएनसी दिशानिर्देश
	(40 घंटे/सप्ताह) — 1 वर्ष और उससे अधिक समयावधि वाले डिप्लोमा कार्यक्रम स) ऑनलाइन — 1 वर्ष और उससे अधिक समयावधि वाले प्रमाणपत्र कार्यक्रम	घंटे जोड़े गये) 50 घंटे/10 क्रेडिट ('स' श्रेणी से 25 घंटे कम किये गये)
(स)		
4(xvi)	लघु अवधि वाले नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (3-6 माह) अ) 3-6 माह अवधि वाले नर्सिंग एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण से संबंधित नियमित पाठ्यक्रम 3 माह तक 6 माह तक ब) संपर्क सत्र के बिना 3-6 माह अवधि वाले नर्सिंग एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण से संबंधित ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम 3 माह तक 6 माह तक स) संपर्क सत्र के साथ नर्सिंग एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण से संबंधित ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम 3 माह तक 6 माह तक	30 घंटे/6 क्रेडिट 60 घंटे/12 क्रेडिट 15 घंटे/3 क्रेडिट 30 घंटे/6 क्रेडिट (आधा बल भार) 40 घंटे/8 क्रेडिट 55 घंटे/11 क्रेडिट (संपर्क सत्रों के स्थान पर 25 घंटे जोड़े गये)

टिप्पणी: एम.एससी. (नर्सिंग) छात्रों द्वारा शैक्षिक आवश्यकता के रूप में आयोजित सीएनई कार्यक्रमों को सीएनई क्रेडिट घंटों के आवंटन के लिये नहीं माना जायेगा।

6. सीएनई मान्यता के लिये अन्य दिशानिर्देश

- सभी ऑनलाइन सीएनई पाठ्यक्रम परिषद् द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।
- क्रेडिट आवंटन व सीएनई कार्यान्वयन की निगरानी एसएनआरसी द्वारा परिषद् के दिशानिर्देशानुसार की जायेगी।
- क्रेडिट आवंटन के साथ उपस्थिति/भागीदारी प्रमाणपत्र सीएनई आयोजकों द्वारा प्रदान किये जायेंगे।
- ऐसे सीएनई प्रदाताओं, जो अधिकृत सीएनई प्रदाताओं के तहत सूचीबद्ध नहीं हैं, को परिषद् को सूचित करना होगा और सीएनई अनुमोदन एवं क्रेडिट आवंटन के लिये विवरण प्रदान करना होगा।
- उपस्थिति प्रमाणपत्र एसएनआरसी को ऑनलाइन भेजा जा सकता है।
- प्रमाणपत्र में क्रेडिट घंटों का उल्लेख करना होगा।
- वैयक्तिक नर्सों को दस्तावेजों के साथ सीएनई विवरण एनआरटीएस पर अपलोड करना होगा। एसएनआरसी द्वारा परिषद् के दिशानिर्देशों के आधार पर सत्यापन के पश्चात नवीनीकरण लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

7. पास बुक

क्र.सं.	दिनांक	सीएनई कार्यक्रम का प्रकार (कॉन्फ्रेंस/सेमिनार/कार्यशाला आदि), शीर्षक/विषय और स्थान	क्रेडिट की संख्या/सीएनई घंटे

डॉ. टी. दिलीप कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./333/2020-21]

INDIAN NURSING COUNCIL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th November, 2020

F. No. 22-203/CNE/2019-INC.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 16 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), as amended from time to time, the Indian Nursing Council hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short Title and Commencement

- i. These regulations may be called the **Indian Nursing Council (Continuing Nursing Education) Regulations, 2019.**
- ii. These regulations shall come into force on the date of notification of the same.

2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires,

- i. 'the Act' means the Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947) as amended from time to time.
- ii. 'the Council' means the Indian Nursing Council constituted under the Act.
- iii. 'SNRC' means the State Nurse and Midwives Registration Council, by whichever name constituted, by the respective State Governments.
- iv. 'RN & RM' means a Registered Nurse and Registered Midwife (RN & RM) and denotes a nurse who has completed successfully, recognised Bachelor of Nursing (B.Sc. Nursing) or Diploma in General Nursing and Midwifery (GNM) course as prescribed by the Council and is registered in a SNRC as Registered Nurse and Registered Midwife.
- v. 'RANM' means a Registered Auxiliary Nurse Midwife and denotes an Auxiliary Nurse Midwife who has completed successfully, recognised Auxiliary Nurse Midwifery (ANM) course as prescribed by the Council and is registered in a SNRC as Registered Auxiliary Nurse Midwife.
- vi. 'RLHV' means a Registered Lady Health Visitor and denotes a Lady Health Visitor who has completed successfully, recognised Lady Health Visitor (LHV) course as prescribed by the Council and is registered in a SNRC as Registered Lady Health Visitor.
- vii. Nurses Registration & Tracking System (NRTS) means a system developed by Indian Nursing Council and software developed in association with National Informatics Centre (NIC), Government of India, and hosted by NIC for the purpose of maintenance and operation of the Indian Nurses Register. It has standardised forms for collection of the data of Registered Nurse and Registered Midwife (RN&RM)/Registered Auxiliary Nurse Midwife (RANM)/Registered Lady Health Visitor (RLHV) upon Aadhar based biometric authentication.
- viii. 'CNE' means Continuing Nursing Education to be compulsorily undergone by the RN & RM/RANM/RLHV for renewal of registration after every 5 (five) years.
- ix. 'NUID' is the Nurses Unique Identification Number given to the registrants in the NRTS system.
- x. 'INI' means Institute of National Importance.
- xi. 'INE' means Institute of Nursing Excellence.

Indian Nursing Council (Continuing Nursing Education) Regulations, 2019**1. Preamble**

Nurses form two thirds of the health workforce in India and they play a significant role in the healthcare system. Nursing is a scientific discipline and is influenced by the scientific and technological advances in healthcare. The changing disease patterns and demographics, increasing national healthcare priorities, its demands and expenditure, growing information explosion, and rampant growth of nursing educational institutions are major changes that create healthcare challenges today. In this healthcare scenario, to enhance the delivery of high quality, cost effective and safe care, professional nurses are mandated to update their knowledge and competence through (CNE). This is possible only by having a standard uniform system of CNE implementation guidelines across the country.

Recognizing this need, Council in the code of ethics for nurses in India, has emphasized the significance of CNE in promoting professional and personal development of nurses. Reiterating its importance, Council has formulated

guidelines for implementation of CNE across the country during the year 2005. This did not come into effect at that time but some SNRCs implemented CNE guidelines. With the forthcoming introduction of NUID for every nurse in India by Council, the guidelines should be uniformly implemented in all states. These guidelines will provide direction and encouragement to professional nurses to value, respect, create and utilize CNE opportunities, thus enhance their personal and professional development alongside professional competencies.

2. CNE Requirement

All RN & RM personnel must participate in a professional CNE program and earn 30 CNE credits or 150 CNE hours for every 5 years (minimum of 30 hours per year and a maximum of 60 hours per year). All CNE programs shall be approved by Council. This is a mandatory requirement for renewal of registration and license of nurses and midwives every five years.

All RANM/RLHV (promotional training of ANM's), Public Health Nurses and Nurses who are holding the positions of MLHP/Community Health Officers must participate in government mandated training programs and earn 30 CNE credits or 150 CNE hours for every 5 years (minimum of 30 hours per year and a maximum of 60 hours per year). This is a mandatory requirement for renewal of registration and license of RANM/RLHV every five years.

3. Organizations/Institutions/Agencies competent or authorized to conduct CNE programs

Following is the list of organizations/institutions which are authorized to conduct CNEs.

- i. Registered professional associations/Society-State/National (e.g. Trained Nurses Association of India, Psychiatric Nurses' Association, Critical Care Nurses' Association etc.).
- ii. Central/State Government nursing educational institutions (colleges/schools).
- iii. Autonomous institutions/INIs & INEs.
- iv. Nursing educational institutions found suitable by the Council.
- v. Central/State government hospitals/training centers under Ministry of Health & Family Welfare/Armed Forces Medical Services hospitals.
- vi. Multispecialty hospitals that run medical college or DNB program.
- vii. Government (State/Central)/UGC recognized university included in Schedule 2 of the Act.
- viii. All nursing examination boards included in Schedule 1 of the Act.
- ix. Any other private/corporate hospital/organization/association/agency associated with healthcare not mentioned in the above list, will seek prior approval from the Council.

4. Academic activities to be accredited for CNE

- i. Participation at conference/workshop/seminar/symposium etc.
- ii. Participation at clinical skill update workshops (Individual hands on experience e.g. BCLS/ACLS).
- iii. Speaker/oral or poster presenter at conference, workshop, seminar, symposium etc.
- iv. Participation at CNE/scientific session as part of official meetings of professional association/organization.
- v. Chairperson/Moderator of a scientific session/plenary session at a State/National/International conference/workshop/seminar/symposium.
- vi. Organizing Secretary/Chairperson of State/National/International conference/workshop/seminar/symposium/scientific committee.
- vii. Publication in indexed State/National/International journal as author or co-author (Original article, case report, book review).
- viii. Authorship of a text book (author/co-author).
- ix. Authorship in a chapter of a book.
- x. Authorship in revising a book written by professional organizations/associations (author/co-author).
- xi. Chief-editor of an indexed journal (excluding ex-officio).
- xii. Executive/Contributory editor of an indexed journal.
- xiii. Taking Videoconferencing lectures (scientific and research related e.g. Ph.D. consortium)/Teleconferencing lectures.

- xiv. Online CNE modules/courses (Developing and undergoing).
- xv. Pursuing higher studies – Ph.D./Postgraduate/Post Basic B.Sc./Post Basic Diploma/NP Programs recognized by Council (One year and above).
- xvi. Short term training courses (3-6 months)

5 (I) Guidelines for awarding credits and hours (Are awarded on the basis of the quality of scientific content and speaker/resource people)

- i. Academic activity:
One credit = 5 hours
30 credits = 150 hours/5 years
- ii. Higher studies:
30 credits = 150 hours
- iii. Academic activity (Short term courses):
30 credits is the requirement (Hours/credit may be different for each course)

5 (II)

S.No.	Academic Activity	INC Guidelines
A		
4(i)	Participation in conference/workshop/seminar/symposium	One day CNE = 5 hours = one credit × number of days Minimum 5 hours of scientific deliberation (Maximum hours that can be awarded is 30 hours)
4(ii)	Participation at clinical skill update workshops (Individual hands on experience e.g. BCLS/ACLS)	One day = 10 hours = two credits × number of days (Maximum hours that can be awarded is 30 hours)
4(iii)	Speaker/Oral paper or poster presenter at conference/workshop/seminar/symposium	10 hours (2 credits) (The hours are awarded only once for the same topic of presentation)
4(iv)	Participation at CNE/scientific session as part of official meetings of professional association/organization	One day CNE = 5 hours = one credit (Minimum 5 hours of scientific deliberation)
4(v)	Chairperson/Moderator of a scientific session/plenary session at conference/workshop/seminar/symposium	5 hours (1 credit)/session Maximum 2 credits/day
4(vi)	Organizing Secretary/Chairperson of a conference/workshop/seminar/symposium/Scientific committee	10 hours (2 credits)/conference or workshop or seminar or symposium
4(vii)	Publication in indexed State/National/ International journal as author or co-author (Original article, case report, book review) - 3 rd author onwards	Original article/case report – 10 hours (2 credits) Book review – 5 hours (1 credit) 5 hours (1 credit)
4(viii)	Authorship of a text book (author/co-author) - 3 rd author onwards	25 hours (5 credits) 5 hours (1 credit)
4(ix)	Authorship in a chapter of a book (author/co-author) - 3 rd author onwards	10 hours (2 credits) 5 hours (1 credit)
4(x)	Authorship in revising a book (written by professional organizations/ associations (author/co-author) - 3 rd author onwards	10 hours (2 credits) 5 hours (1 credit)
4(xi)	Chief editor of an indexed journal (excluding ex-officio)	10 hours (2 credits)/issue
4(xii)	Executive/Contributory editor of an indexed journal	5 hours (1 credit)/issue

S.No.	Academic Activity	INC Guidelines
4(xiii)	Taking Videoconferencing lectures (scientific and research related e.g. Ph.D. consortium)/teleconferencing – Virtual training Moderator Organiser Presenter – Minimum 30 minutes Participants	Per session = 10 hours = 2 credits 2.5 hours (0.5 credit) Maximum 5 hours (1 credit) 5 hours (1 credit) Maximum 10 hours (2 credit) 5 hours (1 credit) Maximum 10 hours (2 credit) 2.5 hours (0.5 credit) Maximum 5 hours (1 credit)
4(xiv)	Online CNE modules/courses (undergoing) Developing online modules	One Module up to 5 hours = one credit OR Credits prescribed as per course curriculum (International Standard) One module = 3 credits/15 hours
B		
4(xv)	Pursuing higher studies – Ph.D./ Postgraduate/Post Basic B.Sc./Post Basic Diploma/NP Programs recognized by Council (One year and above) a. Online/distance mode without contact sessions – 1 year and above <u>diploma nursing</u> program b. Online/distance mode with contact sessions (40 hours/week) – 1 year and above <u>diploma</u> program c. Online – 1 year and above <u>certificate</u> program	150 hours = 30 credits 75 hours/15 credits (half weightage) 100 hours/20 credits (25 hours added to ‘b’ category for contact sessions) 50 hours/10 credits (25 hours reduced from ‘c’ category)
C		
4(xvi)	Short term training courses in nursing (3-6 months) a. Regular 3-6 months courses in nursing/health related Up to 3 months Up to 6 months b. Online 3-6 months certificate courses in nursing/health related without contact sessions Up to 3 months Up to 6 months c. Online certificate nursing and health related courses with contact sessions Up to 3 months Up to 6 months	30 hours/6 credits 60 hours/12 credits 15 hours/3 credits 30 hours/6 credits (half weightage) 40 hours/8 credits 55 hours/11 credits (25 hours added in place of contact sessions)

Note: CNE programs organized by M.Sc. (Nursing) students as an educational requirement shall not be considered for CNE credit hours.

6. Other guidelines for CNE accreditation

- All Online CNE courses shall be approved by the Council.
- SNRCs will allot the credits as per Council guidelines and monitor the implementation of CNE.
- Certificate of attendance/participation with the grant of credits is provided by the CNE organizers.
- CNE providers not listed under authorized CNE providers will have to inform the Council and provide the details of the CNE to get approval and awarding of credits.
- Certificate of attendance can be forwarded to the SNRC via online.
- Credit hours will have to be mentioned in the certificate.

- The individual nurse shall upload the CNE details (supporting documents) in the NRTS. Upon verification by SNRC as per Council guidelines renewal of licence can be issued.

7. PASS BOOK

S.No.	Date	CNE program type (Conference/seminar/workshop etc.), title/theme and venue	No. of credits/ CNE hours

Dr. T. DILIP KUMAR, President

[ADVT.-III/4/Exty./333/2020-21]